

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2017

क्रमांक एफ-20-23/2016/11/6, चूंकि राज्य शासन को " छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 " के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत अधिसूचित " प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.07.2017 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में उप पैरा 4.6 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 4.7 जोड़ा जाये, अर्थात्

4.7 छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप को प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की पात्रता होगी। यह पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. स्टार्ट अप पैकेज हेतु निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी।
2. अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय भी उद्योग/सेवा का वैध स्टार्ट अप यूनिट होना आवश्यक है।
3. स्टार्ट अप की परिभाषा की वैधता अवधि पांच वर्ष/अनुदान की स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया के समय यदि उद्यम/सेवा, स्टार्ट अप में वैध नहीं रह जाता है तो शेष अवधि के लिये प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की मूल अधिसूचना की पात्रता अनुसार अंकित अनुदान की दर व मात्रा प्राप्त होगी, अधिकतम मात्रा भी मूल अधिसूचना अनुसार ही होगी।
4. यदि उद्यम/सेवा स्थापित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने की तिथि से ही प्रारंभ होगी। इसके पूर्व के स्वत्व मूल अधिसूचना में अंकित दर एवं मात्रा (अधिकतम सीमा सहित) अनुसार होंगे।
5. स्टार्ट अप पैकेज लिये जाने पर सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले निवेशक, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, निःशक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता नहीं रह जावेगी, अर्थात् केवल स्टार्ट अप पैकेज का ही लाभ प्राप्त होगा।

6. स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता हेतु अनुदान की दर एवं मात्रा वह होगी, जो अधोलिखित बिन्दु क्र. 6.4 के तहत दर्शायी गई है। स्टार्ट अप पैकेज हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की कोई श्रेणी नहीं होगी।
7. भारत सरकार से स्टार्ट अप का पंजीयन होने के आधार पर यदि भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान स्वीकृत किया गया है तो इस पैकेज के तहत प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान राज्य शासन से प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी।
8. स्टार्ट अप पैकेज का लाभ उद्योग/सेवा को प्राप्त करने की पात्रता तब तक ही रहेगी, जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है।
9. स्टार्ट अप पैकेज के अंतर्गत प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
10. यदि उद्यम/सेवा प्रस्तावित है तो स्टार्ट अप पैकेज की पात्रता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्ट अप पंजीयन के जारी होने के पश्चात् तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् ही अधिसूचना के प्रावधान अनुसार होगी।

टीप - उपरोक्त 4.7 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप 5.1 (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 5.1 (6) जोड़ा जाये, अर्थात्

5.1 (6) छत्तीसगढ़ स्टार्ट अप नीति 2015 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्टार्ट अप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.3 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.4 जोड़ा जावे, अर्थात्

6.4 प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 6.00 लाख

(चार) स्टार्ट अप को को दिये जाने वाले प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 22.07.2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग


पृष्ठा.क्रमांक एफ-20-23/2016/11/6
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक 20 सितम्बर, 2017.

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक श्रमसकीय मुद्रणालय, रायपुर
कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें
तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला
छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

1 SEP 2017